

श्री संतोष कुमार, पुलिस अधीक्षक, शिवहर के द्वारा दिनांक-05.06.2020 को शिवहर जिला का माह मई 2020 का मासिक अपराध निरोध गोष्ठी पुलिस कार्यालय, शिवहर में एवं पुलिस सभा पुलिस केन्द्र में किया गया।

आज दिनांक-05.06.2020 को श्री संतोष कुमार, पुलिस अधीक्षक, शिवहर के द्वारा पुलिस अधीक्षक, कार्यालय, शिवहर में मासिक अपराध गोष्ठी किया गया, जिसमें श्री राकेश कुमार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, शिवहर, पुलिस उपाधीक्षक (मु0) एवं जिले के सभी थानाध्यक्ष, सभी पुलिस निरीक्षक, प्रभारी परिचारी, पुलिस केन्द्र, शिवहर, प्रभारी स्पीडी ट्रायल, प्रभारी हिन्दी शाखा, पुलिस कार्यालय, शिवहर एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी भाग लिये।

माह मई 2020 में शिवहर जिले में कुल 132 संज्ञेय मामलों दर्ज किये गये है जिसमें 28 कांड मद्य निषेध में प्रतिवेदित हुए। इस माह शिवहर जिले में डकैती, नक्सली घटना, साम्प्रदायिक कांड, गंभीर दंगा जैसे महत्वपूर्ण शीर्षों में एक भी अपराध जिले में घटित नहीं हुआ। लूट की एक घटना श्यामपुर भटहॉ थाना क्षेत्र में घटित हुआ था जिसे ससमय निष्पादन कर लिया गया एवं लूटे गये समान एवं इस लूट के घटना में शामिल सभी अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। मई माह में कुल-105 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

माह मई में कोरोना (कोविड-19) संक्रमण के परिपेक्ष्य में लॉक डाउन के दौरान यातायात नियमों का अनुपालन नहीं करने के लिए कुल 1095 वाहनों से 6,21000/- (छःलाख एककीस हजार) रू0 मोटरवाहन अधिनियम की घारा के तहत फाईन किया गया।

पुलिस अधीक्षक, शिवहर द्वारा सभी पदाधिकारियों को निम्न निर्देश समेत अन्य निर्देश दिये गए:-

(1) अपराध नियंत्रण हेतु गश्ती को चुस्त होने, जगह बदल-बदल कर वाहन चेकिंग करने एवं प्रत्येक दिन औचक गश्ती दल निकालने का भी निर्देश दिया गया। इसके साथ ही पिछले 15 वर्षों के अपराधियों की सूची तैयार कर उसके गतिविधि का सत्यापन एवं निगरानी का निर्देश दिया गया।

(2) शराब की बरादमगी, शामिल कारोबारियों की गिरफ्तारी तथा देशी शराब बनने की सूचना पर त्वरित कार्रवाई हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में कई थानों को मिलाकर टीम तैयार की गई है जो लगातार विशेष अभियान चलायेगी।

(3) पुलिस अधीक्षक द्वारा मासिक बैठक में शिवहर पुलिस को संवेदी पुलिस बनाने हेतु सभी पदाधिकारियों को संवेदनशील बनाने का प्रयास किया गया। इन्हे सख्त निर्देश दिया गया कि कोई भी आवेदक आते है तो उनके साथ अच्छा व्यवहार करें तथा उनकी समस्या का त्वरित निष्पादन करें। सभी क्रियाकलाप पारदर्शी एवं निष्पक्ष रूप से करने हेतु सभी को सख्त हिदायत दी गयी। अच्छा कार्य करने वाले पुलिस पदाधिकारी/कर्मियों को पुरस्कृत करने तथा गलत कार्यों में लिप्त अथवा कर्तब्यहीन पुलिस पदाधिकारी/कर्मियों को दंड देने की बात भी पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट रूप से सभी उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों से कहा।

(4) सभी पुलिस कार्यालय/प्रतिष्ठान/थानों से माह में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पुलिस पदाधिकारी/कर्मियों की सूची प्राप्त कर उन्हें हर माह पुरस्कृत करने की व्यवस्था जो पिछले वर्ष शुरू की गई थी उसे इस वर्ष भी लागू रखा जायेगा।

(5) शिवहर पुलिस द्वारा वेबसाइट/पोर्टल एवं शिवहर पुलिस ऐप का लॉच किया गया, जिसमें विभिन्न नागरिक सेवाएँ एवं कार्यालय से संबंधित कार्य प्रारंभ की गई है। वेबसाइट/पोर्टल एवं शिवहर पुलिस ऐप के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए सभी थानाध्यक्ष को इस पोर्टल/ऐप के माध्यम से जो भी आवेदन प्राप्त होता है उसपर तत्क्षण कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया।

(6) कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के रोकथाम हेतु लॉकडाउन की अवधि में मास्क धारण/सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन करने के आरोप में तथा सार्वजनिक वाहन (यथा बस, टेम्पू, ई-रिक्सा इत्यादि) में निर्धारित संख्या में अधिक सवारी बैठाने पर फाईन की कार्रवाई करने हेतु सभी थानाध्यक्ष, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गश्ती पदाधिकारी को निदेशित किया गया है। इसके लिए पुलिस पदाधिकारियों को आम जनों में जागरूकता अभियान चलाने का भी निर्देश दिया गया।

(7) अपराध गोष्ठी में सभी थानाध्यक्ष को निदेशित दिया गया कि सभी लंबित कांडों के वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान चलाकर करें तथा जो अपराधकर्मियों पूर्व के कांड में आरोप-पत्रित है और उसकी गतिविधि वर्तमान में संदिग्ध है उन्हें चिन्हित कर उनपर विशेष नजर रखने तथा उनकी जाँच करने का निर्देश दिया गया है ताकि उनकी वर्तमान गतिविधि संदेहास्पद पाये जाने पर पूर्व के कांड में जमानत रद्दीकरण कर कार्रवाई की जायेगी।

पुलिस सभा का आयोजन, पुलिस केन्द्र में।

श्री संतोष कुमार, पुलिस अधीक्षक, शिवहर की अध्यक्षता में पुलिस सभा का आयोजन पुलिस केन्द्र में किया गया जिसमें सिपाही से लेकर सभी कोटि के पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे। इस मौके पर पुलिस मेन्स एसोसियेशन की और से पुलिस केन्द्र की एवं सिपाही के संबंध में जो भी समस्याएँ रखी गयी जिसे पूरा करने के लिए संबंधित को आदेशित किया गया।

